भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 728

दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुपारी का अवैध आयात

728. श्री नलीन कुमार कटील:
श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि सुपारी को भारत में घरेलू आपूर्ति मार्गों का उपयोग करते हुए विमानपत्तनों के माध्यम से अवैध रूप से लाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विमानपत्तनों के माध्यम से सुपारी के अवैध परिवहन को रोकने के लिए कोई उचित उपाय कर रही है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत के सुपारी उत्पादकों विशेषकर केरल के उत्पादकों, के हितों की रक्षा हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने हैं; और

(ङ) भारत में सुपारी आयात/निर्यात की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) के अधीन सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालय और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) के साथ-साथ राज्य वाणिज्यिक कर विभाग हवाई/समुद्री तथा भू-पत्तनों के जरिए भारत में सुपारी के अवैध परिवहन पर निरंतर निगरानी रखते हैं और विभिन्न भ्रामक तरीकों को अपनाकर आयातों को रोकने के लिए कानून के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा हवाई अड्डों और हवाई कार्गों के माध्यम से अवैध रूप से आयात किए जाने वाले अथवा तस्करी की जा रही सुपारी की जब्ती का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	जब्त की गई मात्रा(कि.ग्रा में)	मूल्य (करोड रुपए में)
2021-22	4	15,296	0.52
2022-23	12	14,188	0.56

(ग) और (घ): सीबीआईसी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राजस्व आसूचना निदेशालय के माध्यम से सुपारी के अवैध परिवहन की संभावना वाले क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखता है और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करता है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने देश में सुपारी के अवैध आयात को प्रतिबंधित करने और देश (केरल सहित) के सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं :-

(i) आयात खेपों की स्वीकृति से पूर्व भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन।

(ii) सीमा शुल्क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सुपारी के उद्गम नियम (आरओओ) की कड़ी जांच करना जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्क को छोड़कर अन्य देशों में उगाई जाने वाली सुपारी का आयात व्यापार करारों के तहत आयात शुल्क छूट का लाभ उठाते हुए हमारे पड़ोसी देशों के जरिए नहीं किया जाता है।

(iii) देश में सुपारी का आयात 100% के आयात शुल्क के माध्यम से प्रतिबंधित है जो शुल्क की आबद्ध दर है।

(iv) सरकार ने देश में सुपारी के अबाधित आयात को रोकने और इस प्रकार भारतीय बाजारों में घटिया गुणवत्ता की सुपारी के प्रवेश को रोकने तथा घरेलू कीमतों को अस्थिर करने के लिए न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) को भी संशोधित किया है। तदनुसार, सुपारी के रूप में जानी जाने वाली अरेकानट्स (आईटीसी एचएस कोड: 080280 के तहत) और सुपारी के रूप में ज्ञात बीटलनट्स उत्पादों (आईटीसी एचएस कोड: 2106 9030 के तहत) का आयात, सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) मूल्य 351 रुपये प्रति किलोग्राम के संशोधित एमआईपी मूल्य के बराबर या उससे अधिक होने पर"मुक्त" है और ऐसे उत्पादों का आयात सीआईएफ मूल्य 351 रुपये प्रति किलोग्राम से कम होने पर"निषिद्ध" है। एमआईपी शर्तें 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में इकाइयों द्वारा आयात के लिए लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि किसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की अनुमति न हो।

(v) सीबीआईसी सुपारी के आयात के लिए प्रशुल्क मूल्य में समय-समय पर संशोधन करता है। वर्तमान में प्रशुल्क मूल्य 8140 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन है [सीबीआईसी अधिसूचना संख्या 09/2024-सीयूएस.(एनटी) दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से] और बुनियादी सीमा शुल्क 100% यथामूल्य है।

(ङ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत में सुपारी के आयात और निर्यात (आईटीसी एचएस कोड 080280) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(मात्रा मीट्रिक टन में और मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

वित्तीय वर्ष	आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
2020-21	23,988	68.41	854.69	4.65
2021-22	25,979	90.18	6,663	21.21
2022-23	73,983	258.19	13,765	60.00
2023-24* (अप्रैल - नवंबर)	30,271	118.45	8,208	36.14

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस (*अनंतिम आंकड़ें)

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 3 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या 17/2023 के साथ पठित दिनांक 28 सितंबर, 2022 की अधिसूचना संख्या 36/2015-2020 के माध्यम से, एमआईपी शर्त के बिना हर साल भूटान से 17,000 मीट्रिक टन ताजा (हरी) सुपारी के आयात की अनुमति दी है और इस तरह के आयात की अनुमति केवल एलसीएस जयगांव (आईएनजेआईजीबी) और एलसीएस चामुरची (आईएनसीएचएमबी) के माध्यम से दी जाती है और इस तरह के आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक वैध बंदरगाह-विशिष्ट पंजीकरण प्रमाणपत्र के अधीन हैं।

***